तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3158/2003/उदयपुर देवा बनाम रोडा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल पीठ</u>
<u>श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य</u>

उपस्थितः–
श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रार्थी।
विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

––

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 26.08.2019

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी अपील को स्वीकार उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2001 को अपास्त करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे दावे के निर्णय तक आराजी खसरा संख्या 246 रकबा 0–2400 हैक्टर वाके ग्राम कोट तहसील गिर्वा में अपीलान्ट के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावे व उक्त भूमि में जबरदस्ती प्रवेश करें।

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी के संबंध में सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष गलत है कि भूमि पर कब्जा प्रार्थी का सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि तत्कालीन रेकार्डेड खातेदार बख्ता मुतबन्ना टोडा द्वारा प्रार्थी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3158 / 2003 / उदयपुर देवा बनाम रोडा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01–10–1983 में स्वयं विक्रेता ने मौके पर कब्जा व काश्त प्रार्थी को सौंपना अंकित किया है। उक्त विक्रय विलेख के तथ्यों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर प्रार्थी के नाम रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पर्चा जारी किया गया है, जो कब्जे के अभाव में कतई जारी नहीं किया जा सकता है। अर्थात कब्जे की सम्पूर्ण जांच करने के बाद ही प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी तीनों घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय जैसे विधिक बिन्दुओं पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08–04–2003 को निरस्त करने की प्रार्थना की है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश व पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह प्रदर्शित होता है कि मामले में बंदोबस्त विभाग की कार्यवाही में विवादित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे बाबत कोई अंकन नहीं है। अर्थात बंदोबस्त विभाग ने कहीं भी प्रार्थी का कब्जा नहीं माना है। वर्ष 1983 में कभी भी विवादित रकबा वक्ता डांगी के नाम से दर्ज नहीं है। अतः यदि उसके द्वारा कोई विक्रय विलेख निष्पादित भी किया गया है तो वह प्रभावशून्य है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3158 / 2003 / उदयपुर देवा बनाम रोडा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्योंकि वक्ता के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को दो माह बाद स्वयं श्रीमती वरदू ने अप्रार्थी की अन्य भूमि के बदले में विक्रय विलेख निष्पादित करा दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि वह दिसम्बर 1983 को जीवित थी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वसीयत के आधार पर खातेदारी, खातेदार के जीवनकाल में ऐसी वसीयतधारी के नाम से खातेदारी अधिकारों का अंकन नहीं किया जा सकता है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–2031 में साबिक खसरा संख्या 182/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वरदू बेवा टोडा डांगी साकिन देह दर्ज है, लेकिन काश्त करने वाले के कॉलम में कब्जाकाश्त भीमा वक्ता का बताया गया है तथा फसल सम्वत 2031 में इस भूमि पर अप्रार्थी के पिता का कब्जाकाश्त का दर्ज है। स्थिति यह भी प्रकट होती है कि विवादित रकबे बाबत दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में फौजदारी प्रकरण संस्थित हुए है, ऐसी स्थिति में रेकार्डेड खातेदार को बेदखल करने की पूर्ण सम्भावना है, अतः अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट है। रेकार्ड के अनुसार यह भी पाया जाता है कि विवादित रकबे पर प्रार्थी द्वारा कब्जेकाश्त का प्रयास किया गया है। अतः हमारी विनम्र राय में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति जैसे बिन्दु बाबत प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया जाता है। इस स्थिति में रोडा वगैरहा द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में न्यायालय ने उसे आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2001 को अपास्त करने में किसी विधि का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रकट होने के कारण इसे अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3158 / 2003 / उदयपुर देवा बनाम रोडा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन पाई जाने के कारण खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-04-2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 3158 / 2003 / उदयपुर देवा बनाम रोडा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए